न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, शैतान सिंह राजपुरोहितR.A.S

राजस्व वाद पत्र संख्या – 15/2020

वादीगणः–

1. दुर्गा पत्नि केसाराम
2. भागीरथ पुत्र केसाराम आयु 10 वर्श
3. विजय पुत्र केसाराम आयु 06 वर्श
4. साक्षी पुत्री केसाराम आयु 08 वर्श तीनो नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता दुर्गा पत्नि केसाराम सभी जातियान मेघवाल निवासीगण सिलारी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. कालुराम पुत्र मोहनराम
2. बाबुलाल पुत्र मोहनराम
3. मांगीलाल पुत्र मोहनराम जातियान मेघवाल निवासीगण सिलारी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
4. मुन्नाराम पुत्र आसुराम उर्फ आसिया जाति मेघवाल निवासी सिलारी हाल निवास पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

राजस्ववाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री ओमप्रकाश कच्छावाह वादीगण की ओर से
2. श्री राजेन्द्र देवड़ा प्रतिवादी संख्या एक, तीन व चार की ओर से

निर्णय

दिनांक : 24.06.2021

वादीगण की और से एक राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। जो इस प्रकार से है कि – ग्राम सिलारी तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में वादीगण के पति/पिता की खरीदसुदा कब्जासुदा कृषि भूमि खसरा नबरं 58रकबा 2.0549 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम भूमि आई हुई है। जिसकों आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा । वादग्रस्त आराजी के खातेदार मोहनराम पुत्र प्रहलादराम, आसिया उर्फ आसुराम पुत्र पुरखाराम रहे है। आसिया पुत्र पुरखाराम का स्वर्गवास होने पर उसके पुत्र मुन्नाराम पुत्र आसुराम उर्फ आसिया व मोहनराम पुत्र प्रहलादराम ने वादग्रस्त आराजी जरिये पंजीबद्व बैचाननामा दिनांक 09.02.1993 को वादीगण के पति/पिता केसाराम पुत्र पुनाराम को बैचान कर रखी है। वक्त खरीद से वादग्रस्त भूमि पर केसाराम का कब्जाकाश्त रहा है केसाराम का स्वर्गवास होने के पश्चात् वादीगण वादग्रस्त आराजी पर अभिलिखत सहखातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज होकर काश्त कार्य करते आ रहे है। वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार मोहनराम पुत्र प्रहलादराम का स्वर्गवास होने पर उनके तीनो पुत्र प्रतिवादी संख्या एक से तीन व पत्नि मिरगा के नाम से विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत हो गया, मिरगा पत्नि मोहनराम का स्वर्गवास हो गया है। मिरगा के प्रथम श्रेणी के वारिस प्रतिवादी संख्या एक से तीन पक्षकार है। आसिया पुत्र पुरखाराम के पुत्र मुन्नाराम है। वादग्रस्त आराजी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

पर वादीगण का अभिलिखत सहखातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जाकाश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी वादीगण के पति/पिता की खरीदसुदा, कब्जासुदा कृषि भूमि होने से वादीगण वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है इस पर यह वाद बाबत् घोषणा खातेदारी का पेश है। वादीगण ने तहसीलदार पीपाड़शहर व हल्का पटवारी सिलारी को पंजीबद्व बैचान अनुसार नामान्तरकरण स्वीकृत करने का निवेदन किया लेकिन राजस्व अधिकारियों ने आज दिन तक पंजीबद्व बेचान अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं किया है हमेंशा टालमटोल कर रहे है। दिनांक 05.11.2019 को तहसीलदार पीपाड़शहर व हल्का पटवारी ने वादीगण को कहा कि सक्षम न्यायालय से आदेश करवाना होगा, न्यायालय के आदेशानुसार ही नामान्तरकरण खोला जायेगा। वादीगण ने प्रतिवादीगण से भी निवेदन किया तो उन्होने कहा कि पंजीबद्व बैचान अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवा दो हम लोग सहमत है लेकिन आज दिन तक पंजीबद्व बैचान अनुसार राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाम अमल दरामद नहीं हुए है। इसलिए न्यायहित में प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के रोका जाना अति आवश्यक व लाजमी है। इस पर यह वाद बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश है। अन्त में इंस्तदुआ चाही कि :–वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व घोषणा खातेदारी की डिक्री इस आशय की सादिर फरमाई जावें की ग्राम सिलारी में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 58 रकबा 2.0549 हैक्टेयर भूमि पंजीबद्व बैचाननामा दिनांक 10.02.1993 के अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमावे। वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आश्य की सादिर फरमायी जावे कि वादीगण की भूमि पर वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण न तो स्वंय दखलअंदाजी उत्पन्न करे न किसी अन्य से ऐसा करावें। अन्य अनुतोष जो हित वादीगण हो वादीगण के पक्ष में अता फरमावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्ट्रर कर, प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये । प्रतिवादी संख्या एक, तीन व चार की ओर से वकील श्री राजेन्द्र देवड़ा ने वकालातनामा प्रस्तुत किया प्रतिवादी संख्या दो का समन बाद तामिल प्राप्त होने पर भी अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या पांच तहसीलदार पीपाड़ शहर फोरमल पक्षकार होने से इनकी जवाब की आवश्यकता नहीं रही। वकील प्रतिवादी संख्या एक, तीन व चार ने एडमिटेड जवाब दावा पेश किया है कि – वादपत्र के पद संख्या एक सही होने से स्वीकार है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 58 वादीगण के पति/पिता केसाराम पुत्र पुनाराम की खरीदसुदा कब्जासुदा है जिस पर वादीगण का कब्जाकाश्त है। वादपत्र के पद संख्या दो में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है। वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार मोहनराम पुत्र प्रहलादराम, आसिया उर्फ आसुराम पुत्र पुरखाराम रहे है। आसिया

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

पुत्र पुरखाराम का स्वर्गवास होने पर उसके पुत्र मुन्नाराम पुत्र आसुराम उर्फ आसिया व मोहनराम पुत्र प्रहलादरामने वादग्रस्त आराजी जरिये पंजीबद्ध बैचाननामा दिनांक 09.02.1993 को केसाराम पुत्र पुनाराम को बैचान कर रखी है। वक्त खरीद से वादग्रस्त आराजी पर केसाराम का कब्जाकाश्त रहा है। केसाराम के स्वर्गवास होने के पश्चात वादीगण का अभिलिखित खातेदार की हैसियत से कब्जाकाश्त रहा है। वादपत्र के पद संख्या तीन में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है वादग्रस्त आराजी केसाराम की खरीदसुदा है लेकिन बैचान दस्तावेज अनुसार हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण नहीं भरने से गलती से वादग्रस्त भूमि में मोहनराम के स्वर्गवास होने पर विरासत का नामान्तरकरण उनके तीनों पुत्रों के नाम स्वीकृत कर दिया है। वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या एक से चार का कोई हक व हिस्सा नहीं है। वादग्रस्त आराजी केसाराम की खरीदसुदा भूमि है जिस पर वादीगण का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या एक से चार का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जाकाश्त नहीं है। वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता/पति की खरीदसुदा व कब्जासुदा भूमि होने से वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। वादपत्र के पद संख्या चार में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है। वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है कि तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वादग्रस्त भूमि केसाराम की पंजीबद्ध बैचाननामा के खदीद की हुई है। वक्त खरीद से केसाराम व उनके स्वर्गवास पश्चात वादीगण का कब्जाकाश्त रहा है वादग्रस्त भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है व अन्त में निवेदन किया कि अतः जवाबदावा पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विनम्र निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित फरमावें। प्रतिवादीगण द्वारा एडमिटेड जवाब दावा पेश करने से उक्त वाद मे तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नहीं रही पत्रावली साक्ष्य वादी हेतू मुकर्रर की गई।

वादीगण की और से मौखिक साक्ष्य में दुर्गा पत्नि केसाराम, कालूराम पुत्र मोहनराम, मांगीलाल पुत्र मोहनराम, मुन्नाराम पुत्र आसुराम उर्फ आसिया के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये। गवाह से प्रतिवादीगण द्वारा जिरह की गई। वादीगण की और से दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 प्रर्दश ईएक्सपी –1, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रर्दश ईएक्सपी –2 ए, बैचान रजिस्ट्री प्रर्दश ईएक्सपी –3 ए प्रर्दश करवाये गये।

बहस वकुलाय सुनी गई वादीगण ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दौहाराते हुए निवेदन किया है कि अपने पक्ष में पंजीबद्ध दस्तावेज बैचान रजिस्ट्री होने से वादग्रस्त भूमि के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमावें। प्रतिवादी वकील ने अपने एडमिटेड जवाब दावे में वर्णित तथ्यों को

उपखण्ड अधिकारी

दौहराया एवं वादग्रस्त भूमि के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया तथा वादीगण की मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया जाकर प्रकरण में निर्णय इस प्रकार किया जाता है :– ग्राम सिलारी में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 58 रकबा 2.0549 हैक्ट्रेयर भूमि वादीगण के पति केसाराम पुत्र पुनाराम की खरीदसुदा कब्जासुदा भूमि होने से एवं केसाराम के पक्ष में पंजीबद्ध बैचाननामा दिनांक 09.02.1993 निस्पादित किया हुआ होने से वादग्रस्त भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण के नाम हटाया जाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सिलारी में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 58 रकबा 2.0549 हैक्ट्रेयर भूमि के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करें। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी किया जावें।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 24.06.2021 को कोर्ट में लिखवाया जाकर मजमेआम सुनाया गया । फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix D & 1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

इजलास **शैतानसिंह राजपुरोहित R.A.S.**

दुर्गा वगैरा बनाम कालूराम वगैरा

ावा बाबत **88,188 आर टी एक्ट** राजस्व मूल वाद संख्या **15/2020**

ह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू व वकुलाय हाजरी वकील **ओमप्रकाश कच्छावाह** जानिब मुदई वकील **राजेन्द्र देवड़ा** मनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वादीगण** ा वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सिलारी में स्थित वादग्रस्त भूमि सरा नंबर 58 रकबा 2.0549 हैक्ट्रेयर भूमि के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया ाता है तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के ाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करें। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। इस ाशय का डिक्री पर्चा जारी किया जावें।

ोज .....शून्य .....मुवलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य..... खर्चा इस मुकदमें के मय द व शरद.....शून्य.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी क.....शून्य.....को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.06.2021 को जारी की गई।

दस्तखत.....

ओहदा.....

	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजोदाबा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मीजान.....			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मीजान.....		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें।